



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 18, 2015/वैशाख 28, 1937

No. 311]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 18, 2015/VAISAKHA 28, 1937

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(कार्मिक शाखा-4)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मई, 2015

सा.का.नि. 389(अ).—दिल्ली विकास (विविध) नियम, 1959 के उप-नियम (4) के साथ पठित दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अधिसूचना सं. एफ-7 (121) 2010/पी.बी.-1 दिनांक 15.9.2011 द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियम के अधिक्रमण में दिल्ली विकास प्राधिकरण, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, एतद्वारा दि.वि.प्रा. में राजस्व संवर्ग के उप-निदेशक, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारी के पदों के भर्ती विनियमों में निम्नलिखित संशोधन करता है।

दि.वि.प्रा. में उप-निदेशक (राजस्व) के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियम का मानक प्ररूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के भर्ती विनियम में प्रस्तावित संशोधन	ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
1	2	3	4	5
1	पद का नाम	उप-निदेशक (राजस्व)	कोई परिवर्तन नहीं	—
2	पदों की संख्या	03 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	कोई परिवर्तन नहीं	—
3	वर्गीकरण	समूह -क	कोई परिवर्तन नहीं	—
4	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनबैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रु. + ग्रेड वेतन 6600/-रु.	कोई परिवर्तन नहीं	—
5	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	चयन	कोई परिवर्तन नहीं	—
6	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ ग्राह्य है।	लागू नहीं.	कोई परिवर्तन नहीं	—
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
8	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—

9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत और प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में लागू होंगी।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष	कोई परिवर्तन नहीं	—
11	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पदोन्नति द्वारा, जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	कोई परिवर्तन नहीं	—
12	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	<p><b>पदोन्नति के लिए</b> सहायक बंदोबस्त अधिकारी जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण</b> निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले केंद्र सरकार / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/ स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारी :</p> <p>(क) 1 मूल विभाग में सदृश पद धारण करते हों अथवा 2 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रु. में मूल विभाग में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा 3 4800/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रु. में मूल विभाग में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित। (ख) राजस्व के क्षेत्र में कार्य का अनुभव।</p>	<p><b>पदोन्नति</b> तहसीलदारों में से जिन्होंने ग्रेड में 6 वर्षों की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण</b> निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करने वाले केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम /स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारी :</p> <p>(क) 1 मूल विभाग में सदृश पद धारण करते हों अथवा 5400/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 अर्थात् 15600-39100/-रु. में मूल विभाग में 5 वर्षों की नियमित सेवा सहित अथवा 4800/-रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 अर्थात् 9300-34800/-रु. में मूल विभाग में 6 वर्षों की नियमित सेवा सहित। (ख) राजस्व के क्षेत्र में कार्य का अनुभव।</p>	सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पद को तहसीलदार के पद के साथ मिला दिया गया है। 4800/-रु. से - 6600/-रु. के ग्रेड वेतन में पदोन्नति के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुसार 6 वर्षों की अर्हक सेवा है जिसे दिनांक 12.12.2014 को हुई प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार किया गया है।
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	समूह 'क' की विभागीय पदोन्नति समिति	समूह 'क' के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया गया है। (केवल पदोन्नति के लिए)	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन दि.वि.प्रा. द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित किया जाता है तथा इसके गठन में समय-समय पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए केवल विभागीय पदोन्नति समिति के स्तर का उल्लेख किया गया है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में परिवर्तन के साथ भर्ती विनियमों में किसी संशोधन की आवश्यकता न हो।
14	शिथिल करने की शक्ति	जब उप-राज्यपाल, दिल्ली की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	—
15	बचाव	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े	कोई परिवर्तन नहीं	—

247/c 49/c-

		वर्गों, भूतपूर्व सेनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	
16	निरहता	कोई भी व्यक्ति - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा (ख) जिसकी पत्नी/जिसका पति जीवित हो और उसने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट हो कि यह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस विनियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।	कोई परिवर्तन नहीं

दिल्ली विकास प्राधिकरण में तहसीलदार के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियम का मानक प्ररूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के भर्ती विनियम में प्रस्तावित संशोधन	ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
1	2	3	4	5
1	पद का नाम	तहसीलदार	कोई परिवर्तन नहीं	---
2	पदों की संख्या	10	27 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	शहरी विकास गंत्रालय द्वारा अनुमोदित संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप संवर्ग में संस्वीकृत संख्या का संस्थापना आदेश सं. 1032 दि० 18.6.2010 द्वारा पुनः निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त सहायक बंदोबस्त अधिकारी के 07 पदों को तहसीलदार के पद के साथ आमेलित कर दिया गया है। *विद्यमान संस्वीकृत संख्या परिवर्तनशील
3	वर्गीकरण	समूह -ख	कोई परिवर्तन नहीं	---
4	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	1640-60-2600-द.रो. -75-2900/-रू.	वेतनबैंड-2 9300-34800/-रू. + ग्रेड वेतन 4800/-रू.	सहायक बंदोबस्त अधिकारी के पद तहसीलदार के पद के साथ आमेलित
5	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	चयन	कोई परिवर्तन नहीं	---
6	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का लाभ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत देय है।	नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	---
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष। सरकारी कर्मचारियों और दि.वि.प्रा. कर्मचारियों हेतु 5 वर्ष तक शिथिलनीय	लागू नहीं	भर्ती का तरीका 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा है।
8	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक अथवा समकक्ष	लागू नहीं	भर्ती का तरीका 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा है।
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत और प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के मामले में लागू होंगी।	नहीं	लागू नहीं	---

245/39/c-

10	परिवेक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष	लागू नहीं	—
11	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	—
12	पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वह ग्रेड जिससे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाना है।	पदोन्नति हेतु इस ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा के साथ नायब तहसीलदार से।	पदोन्नति हेतु इस ग्रेड में 6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ नायब तहसीलदार से। <b>प्रतिनियुक्ति</b> केन्द्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायत्त निकायों में कार्यरत अधिकारियों में से जो निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरा करते हैं :- • मूल विभाग में नियमित आधार पर समकक्ष पद धारण करने वाले अथवा मूल विभाग में नेतनबैंड-2 अर्थात् 9300-34800/-रु. के साथ 4200/- रु. के ग्रेड नेतन में 6 वर्ष की नियमित सेवा।	—

13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1 उपाध्यक्ष :- अध्यक्ष 2 वित्त सदस्य :- सदस्य 3 सचिव :- सदस्य 4 आयुक्त (का.) / निदेशक (का.) :- सदस्य सचिव 5 विभागाध्यक्ष :- सदस्य	समूह 'ख' के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया गया है। (केवल पदोन्नति के लिए)	विभागीय पदोन्नति समिति के गठन को दि.वि.प्रा. अलग से अधिसूचित करता है और इसमें समय-समय पर परिवर्तन भी किया जाता है। इसलिए विभागीय पदोन्नति समिति के केवल स्तर का उल्लेख किया गया है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में परिवर्तन होने पर भर्ती विनियमों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता न हो।
14	शिथिल करने की शक्ति	भर्ती विनियमों में नहीं है।	जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग अथवा व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	—
15	बचाव	भर्ती विनियमों में नहीं है।	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनेजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।	—
16	निरहता	भर्ती विनियम में नहीं है।	कोई भी व्यक्ति (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पति/पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य	—

		व्यक्ति, से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार/ दि. वि.प्रा. इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।	
--	--	--	--

## दिल्ली विकास प्राधिकरण में नायब तहसीलदार के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियम का मानक प्ररूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रस्तावित संशोधन	ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
1	2	3	4	5
1	पद का नाम	नायब तहसीलदार	कोई परिवर्तन नहीं	—
2	पदों की संख्या	24	50 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	आयुक्त (कार्मिक) द्वारा जारी किए गए संस्थापना आदेश सं. 1032 दि० 18.6.2010 के अनुसार 50 ।
3	वर्गीकरण	समूह -ग	समूह-ख	—
4	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/वेतनमान	वेतनमान 1400-40-1900-द.सौ. -50-2300/-रु.	वेतनबैंड-2 9300-34800/-रु. + ग्रेड वेतन 4200/-रु.	वेतनमान, छोटे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार संशोधित कर दिया गया है, जिन्हें दि. वि.प्रा. द्वारा संकल्प सं. 20/2009 दि० 3.6.2009 द्वारा अपनाया गया तथा जिन्हें संस्थापना आदेश सं. 1988 दि० 8.10.2009 द्वारा परिचालित किया गया ।
5	चयन पद है अथवा अचयन पद है ।	चयन	कोई परिवर्तन नहीं	—
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष	21 से 30 वर्ष के बीच (सरकारी कर्मचारियों और दि.वि. प्रा. के कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार छूट दी जा सकती है ।)	आयु सीमा डी.ओ.पी.टी. अधिसूचना दि० 21.12.1998 के अनुसार निर्धारित की गई है ।
7	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ।	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
8	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	अनिवार्य 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक अथवा समकक्ष ; 2 राजस्व और भूमि अधिग्रहण कार्य में 2 वर्ष का अनुभव ; 3 भूमि एवं सम्पदा मामलों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों एवं कार्य पद्धतियों को लागू करने का ज्ञान ; 4 उर्दू/हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान ।	अनिवार्य किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री अथवा समकक्ष, 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक सहित वांछनीय 1 भूमि एवं सम्पदा मामलों से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों एवं कार्य पद्धतियों को लागू करने का ज्ञान ; 2 विधि स्नातक की डिग्री होना अतिरिक्त विशेषता मानी जाएगी । टिप्पणी नए पदधारी को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और परिवीक्षा अवधि को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर ही हटाया जाएगा ।	1) विधि स्नातक की डिग्री संबंधी प्रावधान को लिपिकीय एवं अन्य (मि० सं. एफ - 7 (66) 2004/पीबी-1/पार्ट-5) की कैंडर समीक्षा के बारे में टिक्कू समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के अनुसार सामान्य डिग्री में बदला गया है जिन्हें प्राधिकरण द्वारा दि० 18.6.2008 को हुई अपनी बैठक में कार्यावली मद सं. 49/2008 द्वारा विधिवत् अनुमोदित किया गया था और बैठक कक्ष द्वारा सं. एफ-2 (2) 2008/एम. सी./डीडीए/204 दि० 7 जुलाई, 2008 द्वारा विधिवत् परिचालित कर दिया गया था । 2) राजस्व एवं भूमि अधिग्रहण के संबंध में 2 वर्ष के अनुभव का प्रावधान किसी भी नए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । इसलिए यह अनावश्यक है और इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है । 3) इसी प्रकार अधिनियमों, विनियमों आदि और इसी तरह के ज्ञान को समुचित प्रमाण-पत्र के अभाव में आंका नहीं जा सकता । इसलिए यह भी अनावश्यक है और इसे संशोधित किए जाने की आवश्यकता है । 4) पदवारियों के पद से भिन्नता रखने के लिए 50 प्रतिशत अथवा अधिक अंक होने की शर्त शामिल की गई है ।

9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत होने वाले और प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी।	नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
10	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2 वर्ष	2 वर्ष	—
11	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा अथवा आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	क) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; ख) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	क) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; ख) 25 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा जिसके न होने पर पदोन्नति द्वारा।	—
12	पदोन्नति/स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति की जाती है।	पदोन्नति द्वारा : 25 प्रतिशत उन कानूनगो से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा हो। किरी गान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री अथवा समकक्ष। प्रतिनियुक्ति द्वारा : केन्द्र / राज्य सरकार के विभाग / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नायब तहसीलदार/सदृश पदधारी अधिकारी। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	पदोन्नति द्वारा : 75 प्रतिशत उन कानूनगो से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में दस (10) वर्ष की नियमित सेवा हो ; प्रतिनियुक्ति द्वारा : 1) केन्द्र / राज्य सरकार के विभाग / स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नायब तहसीलदार/सदृश पदधारी अधिकारी। 2) केन्द्र/राज्य सरकार के विभाग/स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में कानूनगो, जिसकी 10 वर्ष की नियमित सेवा हो। प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्यतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	तीन वर्ष की सेवा वाले कानूनगो से पदोन्नति की शर्त को डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन सं. ए.बी. 14017 / 61 / 2008 - इस्टै. (आर.आर.) दि० 24 मार्च, 2009 और प्राधिकरण की दिनांक 12.12.2014 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार 10 वर्ष की सेवा वाले कानूनगो से बदल दिया जाएगा।
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:- 1 आयुक्त (कार्मिक) : - अध्यक्ष 2 मुख्य लेखा अधिकारी : - सदस्य 3 निदेशक (कार्मिक) : - सदस्य 4 उप निदेशक :- अनु.प्रा./अनु. ज. जा. का प्रतिनिधित्व करने वाले - सदस्य 5 उप निदेशक (कार्मिक) : - सदस्य/सचिव	1 सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित चयन प्रक्रिया 2 समूह 'ख' के अधिकारियों के लिए वरिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो। (केवल पदोन्नति के लिए)।	—
14	शिथिल करने की शक्ति	भर्ती विनियम में नहीं है।	जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेश द्वारा शिथिल कर सकते हैं।	—
15	बचाव	भर्ती विनियमों में नहीं है।	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों के	—

2441C = 37/c-

- 243/c = 36/c -

			व्यक्तियों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
16	निरहता	भर्ती विनियम में नहीं है।	<p>कोई भी ऐसा व्यक्ति (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार/ दि. वि. प्रा. इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेष्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तो वे उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।</p>

दिल्ली विकास प्राधिकरण में कानूनगो के पद हेतु भर्ती विनियम

क्रम सं.	भर्ती विनियम का मानक प्ररूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियम में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के भर्ती विनियम में प्रस्तावित संशोधन	ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
1	2	3	4	5
1	पद का नाम	कानूनगो	कोई परिवर्तन नहीं	—
2	पदों की संख्या	36	80* (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अनुमोदित संवर्ग समीक्षा रिपोर्ट के परिणामस्वरूप जारी संस्थापना आदेश सं. 1032 दि० 18.6.2010 द्वारा इस संवर्ग की पुनर्निर्धारित संस्वीकृत संख्या 80 समझी जाए। *विद्यमान संस्वीकृत संख्या परिवर्तन की शर्त सहित।
3	वर्गीकरण	समूह -ग	कोई परिवर्तन नहीं	—
4	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	1200-2040/-रु.	वेतनबैंड-1 5200-20200/-रु. + ग्रेडवेतन 2400/-रु.	वेतनमान दि० 6.10.2009 के संस्थापना आदेश सं. 1988 द्वारा परिचालित दि० 3.6.2009 के संकल्प सं. 20/ 2009 द्वारा दि.वि.प्रा. द्वारा अपनाए गए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है।
5	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद है।	भर्ती विनियमों में नहीं है।	अचयन	—
6	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है।	भर्ती विनियमों में नहीं है।	लागू नहीं	पेंशन नियमावली के नियम 29 के अंतर्गत जी.आई.डी. को ध्यान में रखते हुए नियम 30 का प्रावधान लागू नहीं होता है।
7	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	भर्ती विनियमों में नहीं है।	लागू नहीं	भर्ती की पद्धति 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा है।
8	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	भर्ती विनियमों में नहीं है।	लागू नहीं	—
9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नत और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी ?	भर्ती विनियमों में नहीं है।	लागू नहीं	—

10	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष	लागू नहीं	पदोन्नति उसी युग में होगी।
11	भर्ती की पद्धति—सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	पटवारी से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	100 % पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	इसकी व्यवस्था उचित फार्म में की गई है।
12	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	पटवारी से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में 8 वर्ष की नियमित सेवा हो।	पदोन्नति हेतु पटवारी से पदोन्नति द्वारा जिनकी ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो। प्रतिनियुक्ति— केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत कर्मचारी	अर्हता सेवा डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन दि० 24.3.2009 के अनुसार है।
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	भर्ती विनियमों में नहीं है।	समूह 'ग' के कर्मचारियों के लिए कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति, जिसे दि.वि.प्रा. द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किया गया हो (केवल पदोन्नति के लिए)।	विभागीय पदोन्नति समिति का गठन दि.वि. प्रा. द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित है और इसके गठन में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। अतः विभागीय पदोन्नति समिति के स्तर का ही उल्लेख किया गया है ताकि विभागीय पदोन्नति समिति के गठन में परिवर्तन से भर्ती विनियमों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता न हो।
14	शिथिल करने की शक्ति	भर्ती विनियमों में नहीं है।	जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वे लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेशों द्वारा शिथिल कर सकता है।	—
15	बचाव	भर्ती विनियमों में नहीं है।	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	
16	निरहता	भर्ती विनियमों में नहीं है।	कोई भी ऐसा व्यक्ति क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसका पति/पत्नी जीवित हो; अथवा ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार/ दि.वि.प्रा. इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेय है, तो वे उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।	

## दिल्ली विकास प्राधिकरण में पटवारी के पद हेतु भर्ती विनियम

क्र. सं.	भर्ती विनियमों का मानक प्रारूप/कॉलम	दि.वि.प्रा. के विद्यमान भर्ती विनियमों में प्रावधान	दि.वि.प्रा. के भर्ती विनियमों में प्रस्तावित संशोधन	ऐसे संशोधनों के लिए टिप्पणी/कारण
	2	3	4	5
	पद का नाम	पटवारी	कोई परिवर्तन नहीं	—
2	पदों की संख्या	90	135 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन की शर्त के अधीन)	आयुक्त (कार्मिक) द्वारा जारी दिनांक 18.6.2010 के संस्थापना आदेश सं. 1032 के अनुसार 135
3	वर्गीकरण	समूह -ग	कोई परिवर्तन नहीं	—
4	वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन/ वेतनमान	वेतनमान 950-20-1150-द. रो.-25-1400/-रू.	वेतनबैंड पीबी-1 5200-20200/-रू. + ग्रेड वेतन 2000/-रू.	वेतनमान दिनांक 6.10.2009 के संस्थापना आदेश सं. 1988 द्वारा परिचालित दिनांक 3.6.2009 के संकल्प सं. 20/ 2009 द्वारा अपनाए गए छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में संशोधित किया गया है।
5	क्या चयन पद है अथवा अचयन पद	अचयन	लागू नहीं	—
6	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष	21 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसरण में सरकारी कर्मचारियों और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों के लिए छूट दी जा सकती है)	छूट की अवधि को विनिर्दिष्ट किए बिना छूट शर्त सहित उचित प्रावधान किया गया है क्योंकि यह समय-समय पर भारत सरकार के आदेशों अथवा अनुदेशों द्वारा शासित होगा। यह सरकारी नौकरियों के लिए न्यूनतम आयु है।
7	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अंतर्गत जोड़े गए सेवा वर्षों का लाभ देय है ?	लागू नहीं	कोई परिवर्तन नहीं	—
8	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	<b>अनिवार्य</b> 1 किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष। 2 पटवार (राजस्व) की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। 3 उर्दू/हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान। <b>वांछनीय</b> पटवारी के रूप में अनुभव	<b>अनिवार्य</b> किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समकक्ष। <b>वांछनीय</b> 1 कम्प्यूटर में दक्षता। 2 उर्दू/हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान। <b>टिप्पणी</b> नए पदधारियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद ही परीक्षा समाप्त मानी जाएगी।	नए पदधारियों को विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद ही परीक्षा समाप्त मानी जाएगी।

9	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक अर्हताएं पदोन्नत और प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारियों के मामले में लागू होंगी ?	आयु :- 18-25 वर्ष सीधी भर्ती पद।	आयु :- लागू नहीं प्रतिनियुक्ति के कर्मचारियों के लिए शैक्षिक अर्हताओं में छूट दी जा सकती है।	—
10	परीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	2 वर्ष	2 वर्ष अथवा प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समाप्ति तक इनमें से जो भी बाद में हो।	—
11	भर्ती की पद्धति-सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	—
12	पदोन्नति/स्थानान्तरण/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसे कर्मचारियों से, जिनकी ग्रेड	प्रतिनियुक्ति द्वारा ऐसे कर्मचारियों से, जो केंद्र सरकार/राज्य	—

	भर्ती के मामले में, उस ग्रेड का नाम जिससे पदोन्नति/स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	में 5 वर्ष की नियमित सेवा हो। जिसके ना होने पर 10 वर्ष की निम्नगति सेवा सहित और जिनके पास सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता हो।	सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों।	
13	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका गठन क्या है ?	कनिष्ठ स्तरीय विभागीय पदोन्नति समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1 आयुक्त (कार्मिक) :- अध्यक्ष 2 मुख्य लेखा अधिकारी :- सदस्य 3 निदेशक (कार्मिक) :- सदस्य 4 उप निदेशक :- अनु.जा. /अनु. ज. जा. के प्रतिनिधि-सदस्य 5 उप निदेशक (कार्मिक) :- सदस्य सचिव	लागू नहीं	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती है जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।
14	शिथिल करने की शक्ति	भर्ती विनियमों में नहीं है।	जब अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह लिखित रूप में कारण रिकार्ड करके किसी श्रेणी अथवा वर्ग के व्यक्तियों अथवा पदों के संबंध में इन विनियमों के किसी भी उपबंध को आदेशों द्वारा शिथिल कर सकता है।	—
15	बचाव	भर्ती विनियमों में नहीं है।	इन विनियमों में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय - समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनु. जाति, अनु. जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्गों को मिलने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।	—
16	निरर्हता	भर्ती विनियमों में नहीं है।	कोई भी ऐसा व्यक्ति क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से दूसरा विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो जिसकी पत्नी / पति जीवित हो ; अथवा ख) जिसने अपने पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, वह उक्त किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। बशर्ते कि यदि केंद्र सरकार/दि.वि. प्रा. इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि(पर्सनल लॉ) के अन्तर्गत अनुमेष्य है, तो वे उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं।	—

[सं. एफ-7(135) 2010/पी.बी.-1/597]

डी. सरकार, आयुक्त एवं सचिव

## DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

(Personnel Branch-IV)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 15<sup>th</sup> May, 2015

G.S.R. 389(E).—In exercise of the powers conferred by section 57 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) read with Sub-Rule 4 of the Delhi Development (Misc.) Rules, 1959 and in supersession of the Recruitment Regulations notified vide Notification No. F.7(121)2010/PB-I dt. 15.9.2011, the Delhi Development Authority hereby amends the Recruitment Regulation for the posts of Dy. Director (Revenue), Tehsildar, Naib Tehsildar, Kanoongo and Patwari of Revenue Cadre in DDA with the previous approval of the Central Government, as under:-

## RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF DY. DIRECTOR (REVENUE) IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard Format/Col. Of RRs	Provisions in the existing RRS of DDA	Proposed Modification in the RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Name of the Post	<b>Dy. Director (Revenue)</b>	No Change	-
2.	No. of Post	03 (Subject to variation dependent on work load)	No Change	-
3.	Classification	Group 'A'	No Change	-
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	PB-3 Rs. 15600-39100/- with Grade pay of Rs. 6600/-	No Change	-
5.	Whether Selection Post or Non-selection Post	Selection	No Change	-
6.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	Not applicable	No Change	-
7.	Age limit for direct recruits	Not applicable	No Change	-
8.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Not applicable	No Change	-
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	Not applicable	No Change	-
10.	Period of probation, if any.	Two years	No Change	-
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion failing which by deputation.	No change	-
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<b>For Promotion :</b> Asstt. Settlement officers with Six years of regular service in the grade. <b>Transfer on Deputation:</b> Officers working in Central Govt./State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies possessing following eligible criteria: (A) (1) Holding analogous posts in the Parent department. (2) With 5 yrs of regular services in the parent department in PB-III i.e. Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/-. (3) With 6 years of regular service in parent department in PB-III i.e. Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 4800/-. (B) Experience working in the field of Revenue.	<b>Promotion :</b> From amongst Tehsildar with 6 yrs as regular service in this grade. <b>Transfer on Deputation:</b> Officers working in Central Govt./State Govt./Public Sector Undertaking/Autonomous Bodies possessing following eligible criteria: (A) (1) Holding analogous posts in the Parent department or With 5 yrs of regular services in the parent department in PB-3 i.e. Rs. 15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/- or With 6 years of regular service in parent department in PB-2 i.e. Rs. 9300-34800/- with grade pay of Rs. 4800/-. (B) Experience of working in the field of Revenue.	The post of Asstt. Settlement officer has been merged with the post of Tehsildar. As per DOPT qualifying service for promotion from Grade Pay Rs. 4800/- to 6600/- is 6 years which is done as per minutes of Authority's meeting held on 12.12.2014.
13.	If a DPC exist, what is its composition.	Group 'A' DPC	Senior Level DPC for Group-A officers as notified by DDA from time to time (for promotions only).	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also

- 239/c - 32/c -

23831/E-

				change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Power to Relax	Where the Lt. Governor, Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these Rules.	Where the Chairman, Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category or persons or posts.	
15.	Savings	Nothing in these Regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	No change	
16.	Disqualification	No person- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) Who having a spouse living, has entered into or contacted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the said post. Provided that the Authority may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person & the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.	No change	

## RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF TEHSILDAR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard Format /Col. Of RRs	Provisions in the existing RRs of DDA	Proposed Modifications in the RR of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1	2	3	4	5
1.	Name of the Post	Tehsildar	No change	--
2.	No. of Post	10	27 (subject to variation depending on work load)	The sanctioned strength in the cadre stands re-determined vide E.O. No. 1032 dt. 18.6.2010 consequent of Cadre Review Report approved by the MOUD. Further 7 posts of Asstt. Settlement officers have been merged with Tehsildar. * Existing sanctioned strength with variation clause.
3.	Classification	Group 'B'	No Change	-
4.	Pay Band & Grade pay/Pay Scale	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900/-	Pay Band-2 i.e. Rs. 9300-34800/- With Grade Pay of Rs. 4800/-	A.S.O. merged with Tehsildar
5.	Whether Selection Post or Non Selection Post	Selection	No change	-
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972	No	No change	-
7.	Age limit for direct recruits.	18-25 years relaxable upto 5 years for Govt. employees and the employees of DDA.	Not applicable	Method of recruitment is 100% by promotion

237/c - 39c

8.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Essential; Degree in Law from a recognized university or equivalent.	Not applicable	Method of recruitment is 100% by promotion.
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists	No	Not applicable	
10.	Period of probation, if any.	Two years.	Not applicable.	
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled, by various methods.	100% by promotion failing which by direct recruitment	100% by promotion failing which by deputation.	
12.	In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made.	<u>For promotion</u> From Naib-Tehsildar with 5 yrs regular service in the grade.	<u>For promotion</u> From Naib-Tehsildar with 6 yrs. regular service in the grade. <u>Deputation</u> Officer working in Central/State Govt./Public Sector Undertaking/ Autonomous Bodies having following eligible criteria; • Holding analogous post on regular basis in the parent Department OR With 6 yrs. of Regular Service in the parent deptt. in PB-II i.e. Rs. 9300-34800/- with G.Pay of Rs. 4200/-.	The qualifying service is as per DOPT OM dt. 24.3.2009
13.	If a DPC exists, what is its composition.	Sr. level DPC comprising Vice Chairman : Chairman Finance Member : Member Secretary : Member Commr.(P)/Dir, (P) : M. Secy. Department Head : Member	Senior Level DPC for Group - B officers as notified by DDA from time to time (for promotions only).	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Power to Relax	Not in RR	Where the Chairman, Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category of persons or posts.	
15.	Savings	Not in RR	Nothing in these Regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled castes and Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	
16.	Disqualification	Not in RR	No person:- (a) Who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive: or (b) who having a spouse living, has entered into or	

236/c - 29/c-

			contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post. Provided that the Central Government/DDA may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person & the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
--	--	--	--

## RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF NAIB TEHSILDAR IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY


Sl. No.	Standard format/Col. Of RRs	Provision in the existing RRs of DDA	Proposed modification in the existing RRs	Remarks/reasons for such modification
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Name of the post	Naib Tehsildar	No change	-
2.	No. of post	24	50 (Subject to variation dependent on work load)	50 as per E.O. No. 1032 dated 18.6.2010 issued by Commr.(Pers.)
3.	Classification	Group-C	Group-B	-
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Pay scale Rs.1400-40-1900-EB-50-2300/-	Pay band-2, Rs.9300-34800/- Grade Pay Rs.4200/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission as adopted by DDA vide resolution No. 20/2009 dated 3.6.2009 circulated vide E.O. No. 1988 dated 06.10.2009
5.	Whether selection or Non selection post	Selection	No change	-
6.	Age limit for direct recruits	18-25 years	Between 21 and 30 years (relaxable for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by central Govt.)	The age limit has been prescribed as per the DOPT notification dated 21.12.1998.
7.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) rules 1972.	Not applicable	No change	-
8.	Educational and other qualification required for direct recruits	<b>Essential :</b> 1. Degree of law from a recognized University of Equivalent; 2. Two years experience in Revenue and Land acquisition work; 3. Knowledge of application of various acts, regulation and procedures concerning Land and Estate matters; 4. Working knowledge of Urdu/Hindi.	<b>Essential :</b> <i>Degree from a recognized University or Equivalent with 50% marks or above.</i> <b>Desirable</b> 1. Knowledge of application of various acts, regulation and procedures concerning Land and Estate matters; 2. Possession of Degree in Law would be an added advantage. <b>Note:-</b> Training shall be imparted to the new incumbents by the department and probation shall be lifted only on successful completion of the training.	(1)The provision regarding Degree in Law has been replaced by ordinary Degree as per recommendations of Tikoo Committee Report on the Cadre review of the Ministerial & others (F.No.7(66)104/PB-I/Pt.V) duly approved by the Authority in its meeting held on 18.6.2008 as Item No.49/2008 duly circulated by Meeting Cell vide No. F.2(2)2008/MC/DDA/204 dated 7 <sup>th</sup> July, 2008; (2)The provisions of 2 years experience in Revenue and Land acquisition cannot be acquired by any fresh candidate and hence it is superfluous and needs to be amended; 3)Similarly, knowledge of acts, regulations etc. and the same cannot be gauged in absence of a proper

				certificate, thus, this too is superfluous and needs to be amended. (4) In order to differentiate from post of Patwaris the clause of 50% marks or above has been inserted
9.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists	No	No change	
10.	Period of probation, if any	2 years	2 years	
11.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	(a) 75% by promotion failing which by Deputation; (b) 25% by direct recruitment failing which by deputation.	(a) 75% by promotion failing which by Deputation; (b) 25% by direct recruitment failing which by promotion.	
12.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation/absorption, grades from which promotion is to be made	<b>By Promotion:</b> 25% by promotion from Kanoongo with three years regular service in the grade. Degree in law from recognized University equivalent.  <b>By Deputation:</b> Naib Tehsildar/officer holding analogous posts in the Central/State Govt. Deptts./ Autonomous Body/Public Sector Undertaking. Period of Deputation shall not ordinarily be more than 3 years.	<b>By Promotion</b> <i>75% by promotion from Kanoongo with Ten years regular service in the grade.</i>  <b>By Deputation:</b> (1) Naib Tehsildar/officer holding analogous posts in the Central/State Govt. Deptts./ Autonomous Body/Public Sector Undertaking. (2) Kanoongo with 10 years regular service in the Central/State Govt. Deptts./ Autonomous Body/Public Sector Undertaking. Period of Deputation shall not normally be more than 3 years.	The clause of promotion from Kanungoes with three years service to be substituted by 'Kanungoes with 10 years service' - as per the DOPT O.M. No.AB.14017/61/2008-Estt(RR) dated 24 <sup>th</sup> March, 2009 and minutes of Authority's meeting held on 12.12.2014.
13.	If a DPC exists, what is its composition	Junior Level departmental Promotion Committee consisting of the following:- (i) Commissioner(P): Chairman (ii) CAO: Member (iii) Director(Pers.): Member (iv) Dy. Director : representing ST/SC Member (v) Dy. Director (P): Member Secy.	(1) Selection process as approved by Competent Authority. (2) Senior level DPC for Group-B officers as notified by DDA from time to time (for promotion only).	
14.	Power to Relax	Not in RR's.	Where the Chairman, Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category or persons or posts.	
15.	Savings	Not in RR's.	Nothing in these Regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	
16.	Disqualification	Not in RR's.	No person:- (a) Who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive. Or	

			b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post. Provided that the Central Govt./DDA may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
--	--	--	--

## RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF KANOONGO IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/ Col. Of RRs	Provisions in the existing RRs of DDA	Proposed Modifications in the RRs of DDA	Remarks/Reasons for such modifications
1	2	3	4	5
1.	Name of the post	Kanoongo	No Change	
2.	No. of Post	36	80* (subject to variation depending on work load)	*The sanctioned strength in the cadre stands re-determined vide EO No. 1032 dt. 18.6.2010 consequent of Cadre Review Report approved by the MOUD. *Existing sanctioned strength with variation clause.
3.	Classification	Group 'C'	No Change	
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Rs. 1200-2040/-	Pay Band-1 i.e. Rs. 5200-20200/- with Grade Pay of Rs. 2400/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendation of 6 <sup>th</sup> Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No. 20/2009 dt. 3.6.2009 circulated vide E.O No. 1988 dt. 6.10.2009.
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post	Not in RRs	Non - Selection	
6.	Whether benefits of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Not in RRs	Not applicable	In view of GID below rule 29 of the pension rules, the Provision of rule 30 are not applicable.
7.	Age limit for direct recruit.	Not in RRs	Not applicable	Method of recruitment is 100 % by promotion.
8.	Education and other qualifications required for direct recruits.	Not in RRs	Not applicable	
9.	Whether age and educational qualifications prescribed for the direct recruit will apply in the case of promotes and deputationists.	Not in RRs	Not applicable	
10.	Period of probation, if any.	Two years.	Not applicable	The promotion is in the same Group.
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By promotion from Patwari with 8 yrs. regular service in the grade, failing which by deputation.	100% by promotion failing which by deputation.	The provision has been made in an appropriate form.
12.	In case of recruitment, by promotion/ deputation/ absorption, grade from which promotion/deputation/absorption to be made.	By promotion from Patwari with 8 yrs Regular Service in the Grade.	<u>For Promotion</u> By promotion from Patwari with 5 yrs. regular service in the grade. <u>Deputation:</u> Holding analogous posts on a regular basis in Central Govt./State Govt./PSUS	The qualifying service is as per DOPT OM dt. 24.3.2009.



	If a DPC exists, what is its composition?	Not in RRs	Junior Level DPC for Group-C officers as notified by DDA from time to time (for promotion only).	The composition of the DPC is notified by DDA separately and its constitution may also change from time to time. Hence only level of the DPC has been mentioned so that the RRs may not need any modification with the change in constitution of the DPC.
14.	Power to Relax	Not in RRs	Where the Chairman, Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category or persons or posts.	
15.	Savings	Not in RRs	Nothing in these Regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.	
16.	Disqualification	Not in RR	<b>No person:-</b> a) Who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive; or b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post. Provided that the Central Government/DDA may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person & the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.	

## RECRUITMENT REGULATIONS FOR THE POST OF PATWARI IN DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Sl. No.	Standard format/Col. of RRs	Provision in the existing RRs of DDA	Proposed modification in the existing RRs	Remarks/Reasons for such modifications
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Name of the post	Patwari	No change	-
2.	No. of post	90	135 (subject to variation dependent on work load)	135 as per E.O. No. 1032 dated 18.06.2010 issued by Commr. (P)
3.	Classification	Group-C	No change	-
4.	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Pay Scale Rs. 950-20-1150-EB-25-1400/-	Pay Band- PB-1 Rs.5200-20200/- Grade Pay- Rs.2000/-	The pay scale has been modified in accordance with the recommendations of 6th Central Pay Commission as adopted by DDA vide Resolution No.20/2009 dated 3.6.2009 circulated vide E.O. No.1988 dated 6.10.2009.

2185 G/15-5

5.	Whether Selection or Non-Selection post.	Non-Selection	Not applicable	
6.	Age limit for direct recruits	18-25 years	Between 21 and 27 years (Relaxable for Govt. employees and employees of DDA in accordance with the orders or instructions issued by Central Govt.)	The provision has been made in an appropriate form with relaxation clause without specifying the period of relaxation as it would be governed by the orders or instructions of GOI from time to time. This is the minimum age for govt. jobs.
7.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rules, 1972.	Not Applicable	No change	
8.	Educational and other Qualifications required for direct recruits.	<b>Essential:</b> 1. Matric or equivalent from a recognized University/Board or equivalent. 2. Should have passed Patwari (Revenue) Examination. 3. Working knowledge of Urdu/Hindi. <b>Desirable:</b> Experience as Patwari.	<b>Essential:</b> 1. Graduate from any recognized University or equivalent there of. <b>Desirable:</b> 1. Proficiency in computer. 2. Working knowledge of Urdu/Hindi. <b>Note:-</b> Training shall be imparted to the new incumbents by the department and probation shall be lifted only on successful completion of the training.	Training shall be imparted to the new incumbents by the department and probation shall be lifted only on successful completion of the training.
9.	Whether age and educational qualification prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees and deputationists.	Age: 18-25 Years Direct recruitment post.	Age-Not applicable Educational Qualification may be relaxed for deputationist.	
10.	Period of probation, if any.	2 years	2 year or till successful completion of training, whichever is later.	
11.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	By direct recruitment failing which by deputation.	By Direct Recruitment failing which by deputation.	
12.	In case of recruitment by promotion/transfer/deputation/absorption, grades from which promotion/transfer/deputation/absorption is to be made.	By deputation with 5 year regular service in the grade. Failing which from such with 10 year regular service and possessing educational qualification prescribe for direct recruitment.	By Deputation from official holding analogous posts on a regular basis in Central Govt./State Govt./PSUs.	
13.	If a DPC exists, what is its composition.	Junior level DPC consisting of the following:- Commr. (Pers.)- Chairman. CAO - Member. Director (P) - Member. Dy. Director - representing ST/SC Member. Dy. Director (P) - Member Secy.	Not applicable.	Method of recruitments is by direct recruitment failing which by deputation.
14.	Power to Relax.	Not in RR's.	Where the Chairman Delhi Development Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may be order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these Regulations in respect of any class or category or persons or posts.	
15.	Savings	Not in RR's.	Nothing in these regulations shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, the other backward classes, Ex-Serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders	

- 232/c - 25/c -

23/c - 24/c

			issued by the Central Govt. from time to time in this regard.	
16.	Disqualification	Not in RR's.	No person:- a) Who has entered into or contracted a second marriage when his/her spouse is alive. Or b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said post. Provided that the Central Govt./DDA may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.	

[No. F-7(135)/2010/PB-I/597]

D.SARKAR, Commissioner-Cum-Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 30, 2019/ज्येष्ठ 9, 1941

No. 328]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 30, 2019/JYAISTHA 9, 1941

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2019

सा.का.नि. 392(अ).—केंद्रीय सरकार, दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण से परामर्श करने के पश्चात् दिल्ली विकास प्राधिकरण में नायब तहसीलदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (नायब तहसीलदार) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. प्रारंभिक गठन— नायब तहसीलदार के पद को धारण करने वाले ऐसे पदधारक, जो तारीख 15 मई, 2015 के सा.का.नि. 389(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड(i) में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित भर्ती विनियमों और अन्य पूर्व भर्ती विनियमों के अनुसार नियमित आधार पर नियुक्त हुए थे और उनके द्वारा ऐसे प्रारंभ से पूर्व उक्त पद पर की गई सेवा को परिवीक्षा, पुष्टिकरण, प्रोन्नति आदि के प्रयोजनों के लिए गणना में लिया जाएगा।

3. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर-पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में यथा विनिर्दिष्ट है।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में यथा विनिर्दिष्ट है।

5. निरर्हता-वह व्यक्ति,-

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिम्मे अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति - जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल की जा सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य पिछड़ा वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. त्वायव तहमीलदार।	50* (2019) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	समूह 'ख'	स्तर-6 (35,400/- 1,12,400/- रु.)	चयन।	21 से 30 वर्ष के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और दिल्ली विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष शिथिल की जा सकती है।	आवश्यक : किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समतुल्य से पचास प्रतिशत अंकों सहित या अधिक। वांछनीय : (1) भूमि और संपदा से संबंधित विभिन्न अधिनियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को लागू करने का ज्ञान; 2 विधि खानक की डिग्री होना अतिरिक्त विशेषता मानी जाएगी। टिप्पण:- दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तय पदधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर ही परिर्वीक्षा को हटाया जाएगा।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती किए जाने के मामले में वह श्रेणी, जिससे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	दो वर्ष	<p>(क) 75% प्रोन्नति द्वारा जिसके त हो सकते पर प्रतिनियुक्ति द्वारा;</p> <p>(ख) 25% सीधी भर्ती द्वारा।</p>	<p><b>प्रोन्नति द्वारा:</b></p> <p>गेमे कानूनगो, जिन्होंने उम श्रेणी में दस वर्ष की नियमित सेवा की हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:</b></p> <p>पात्रता सेवा समान रहेगी अर्थात् तारीख 15 मई, 2015 के सा.का.नि. 389(अ) द्वारा सरकारी राजपत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रकशित भर्ती विनियमों के प्रकाशन की तारीख को नियमित आधार पर पोषक पदों को धारित करने वाले व्यक्तियों के लिए तीन वर्ष।</p> <p><b>टिप्पण 2:</b> जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p><b>प्रतिनियुक्ति द्वारा:</b></p> <p>केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के गेमे अधिकारी -</p> <p>(1) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है; या</p> <p>(2) 10 वर्ष की नियमित सेवा सहित कानूनगो हो।</p> <p><b>टिप्पण 1:-</b> प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य मंगठन या विभाग में नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p><b>टिप्पण 2:-</b> पोषक प्रवर्ग के गेमे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>

124/C

If a Departmental Promotion Committee and Confirmation Committee exist, what are their compositions?	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>I. Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of the following:—</p> <p>(i) Commissioner(Personnel) —Chairman;</p> <p>(ii) Director(Personnel) —Member Secretary;</p> <p>(iii) Representative of Scheduled Tribe or Scheduled caste —Member.</p> <p>II. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of the following:-</p> <p>(i) Commissioner(Personnel) —Chairman;</p> <p>(ii) Director(Personnel) —Member Secretary;</p> <p>(iii) Representative of Scheduled Tribe or Scheduled caste —Member.</p>	Not applicable.

[F. No. K-11011/34/2018-DDII]  
K. SANJAY MURTHY, Addl. Secy.